न्यायालय–सत्र न्यायाधीश कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

सत्र परीक्षण सं0–463/14
सरकार–बनाम–शम्भू पाण्डेय आदि।

आरोप

मैं ए0के0 उपाध्याय, सत्र न्यायाधीश कुशीनगर, स्थान पड़रौना आप अनिल गुप्ता, शम्भू पाण्डेय,बबलू पाण्डेय को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि दिनांक–20.02.2014 को समय करीब 5.45 बजे शाम वहद ग्राम परसौनी बुर्जुग, थाना तरयासुजान, जिला कुशीनगर में आपलोग वादी मुकदमा के भाई रूपेश वर्मा जिसकी वर्तन व आभूषण की दुकान फाजिलनगर में है, के दुकान में घुसकर उससे जेवर दिखाने के लिए कहे तथा जैसे ही वह आलमारी खोलकर जेवर दिखाने लगा कि आपलोग रूपेश के सर में गोली मारकर उसका सारा सामान व नकदी बैग में भरकर लूट ले गये। इसतरह से आपने धारा–394 भा0दं0वि0 के अंर्तगत दण्डनीय अपराध किया जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपलोग एक राय होकर वादी मुकदमा के भाई रूपेश वर्मा की आभूषण की दुकान में लूट कर रहे थे और उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दिये कि सामने का दुकानदार रमेश गुप्ता ने शोर किया तो उसे भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दिये। इसतरह से आपने धारा–302/34 भा0दं0वि0 के अंर्तगत दण्डनीय अपराध किया जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपमें से शम्भू पाण्डेय द्वारा वादी मुकदमा के भाई रूपेश वर्मा जिसकी फाजिलनगर में वर्तन व आभूषण की दुकान स्थित है, में लूट कारित करने व उनकी हत्या कारित करने का षडयंत्र किया और रूपेश वर्मा के दुकान में लूट कारित कर उसकी हत्या भी किया। इस प्रकार आपने भा0दं0वि0 की धारा–120बी के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध किया, जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपलोगों को निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक–11.11.2014

(ए0के0 उपाध्याय)
सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर
स्थान–पड़रौना।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की याचना किया है।

दिनांक–11.11.2014

(ए0के0 उपाध्याय)
सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर
स्थान–पड़रौना।